भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1651

30 जुलाई, 2025 को उत्तर देने के लिए

अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना

†1651. श्री टी. एम. सेल्वागणपतिः

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये की अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निधि केवल उन उत्पादों के लिए प्रदान की जाएगी जो विकास और बाजार क्षमता के एक निश्चित स्तर तक पहुँच चुके हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का उद्देश्य बुनियादी अनुसंधान के वित्तपोषण हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी को सरकारी क्षेत्र से अधिक करना है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) जी हाँ, 1 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना को मंजूरी दी।

(ख) 6 वर्षों के लिए इस योजना का कुल परिव्यय ₹1 लाख करोड़ है, जिसमें से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹20,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। आरडीआई योजना के तहत रणनीतिक महत्व के प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की पहचान की गई है। इनमें ऊर्जा संरक्षण, जलवायु कार्रवाई और क्वांटम कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), जैव प्रौद्योगिकी और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसी गहन प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं। यह योजना रणनीतिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी कवर करती है, जिसमें सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) से अनुमोदन के आधार पर अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने की व्यवस्था है। इस योजना के तहत वित्तपोषण की प्रकृति में दीर्घकालिक ऋण (निम्न ब्याज दर या बिना ब्याज पर), इक्विटी वित्तपोषण और डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स में अंशदान शामिल हैं। इस योजना के तहत अनुदान वित्तपोषण और अल्पकालिक ऋण परिकल्पित नहीं है।

अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) के अंतर्गत विशेष प्रयोजन निधि (एसपीएफ) स्तर-1 पर निधि संरक्षक के रूप में कार्य करेगी। कार्यान्वयन, सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) के अनुमोदन से, द्वितीय-स्तरीय निधि प्रबंधकों (एसएलएफएम) द्वारा किया जाएगा, जिसमें वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ), विकास वित्त संस्थान (डीएफआई), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), और केंद्रित अनुसंधान संगठन (एफआरओ), जैसे-बीआईआरएसी, टीडीबी और आईआईटी रिसर्च पार्क शामिल हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) इस योजना के लिए नोडल एजेंसी है। एएनआरएफ के शासी बोर्ड द्वारा निगरानी और प्रशासन की व्यवस्था की जाती है जबकि ईजीओएस, कार्यकारी परिषद (ईसी) और निवेश समितियाँ (आईसी) क्षेत्र अनुमोदन, निधि प्रबंधक चयन, परियोजना मूल्यांकन और समग्र प्रदर्शन समीक्षा के लिए उत्तरदायी हैं।

(ग) से (ङ): जी हाँ, इस योजना के अंतर्गत वित्तपोषण केवल उन्हीं परियोजनाओं के लिए है जो प्रौद्योगिकी सम्पूर्णता का एक निश्चित स्तर प्राप्त कर चुकी हैं - विशेष रूप से, प्रौद्योगिकी तैयारी स्तर (टीआरएल) 4 और उससे ऊपर, और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण की अनुमति देती हैं। हालाँकि, इस वित्तपोषण में अगली पीढ़ी की अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएँ, सरकारी संस्थाओं के लिए आरडीआई वित्तपोषण और अल्पकालिक ऋण शामिल नहीं हैं। वित्तपोषण परियोजना की अनुमानित लागत के अधिकतम 50% तक सीमित होगा, शेष धनराशि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। असाधारण प्रकार की परियोजनाओं/सेक्टरों में, ईजीओएस के अनुमोदन से वित्तपोषण में सरकारी हिस्सेदारी की वित्तीय सीमा में ढील दी जा सकती है।

*****